न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35 / 2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रामेश्वर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी
   मैसर्सः—सैनी जनरल स्टोर, हांडली चौराहा लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री बी. एस. मीना अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 03.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 12.12.2023 को समय दोपहर 03ः10 पर मैसर्स सैनी जनरल स्टोर, हांडली चौराहा लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रामेश्वर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी उपस्थित मिला। विक्रेताने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेताश्री रामेश्वर प्रसाद सैनी को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेताकी दुकान पर एक सील टीन में सरसों का तेल आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1600 ग्राम सरसों का तेल खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बे में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 192 रूपये विक्रेता को नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसों तेल को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के बोतल में बराबर—बराबर डालकर बोतलों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG—4000 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.12.2023 को खाद्य विश्लेषक जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:25:02 IST
Reason: Self-Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.12.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.12.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./5203/एक्ट/2023/5275 दिनांक 21.12.2023 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल(लूज) अमानक स्तर एवं **Extraneous matter**का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ सरसों का तेल(लूज) अमानक स्तर एवं **Extraneous matter**का पाये जाने परन्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. मीना उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./5203/एक्ट/2023/5275 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल(लूज) के नमूने में **Blackis coloured suspended matter** मौजूद होने से यह खाद्य पदार्थ अमानक स्तर **Extraneous suspended matter**का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा **Extraneous suspended matter**के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल(लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एवं 54 **FSSA** 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दिनांक 12.12.2023 को 3:10 **PM** पर मैसर्स सैनी जनरल स्टोर हांडली चौराहा लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा का निरीक्षण किया। विक्रेता की दुकान पर एक सील टीन में से सरसों का तेल आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमे मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु 1600 ग्राम सरसों का तेल खरीदा 4 नमूने सैम्पल लिये एवं फर्द तैयार की गई। तैयार किये गये नमूनों में से एक नमूना सैम्पल खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जयपुर के प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट संख्या एलएस/5203/एक्ट/2023/5275 दिनांक 21.12.2023 द्वारा अमानक घोषित किया है। परिवाद में अंकित किया है कि ''निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक सील टीन में से सरसेां का तेल का सैम्पल हेतु'' जबकि फर्द रिपोर्ट में ''सरसों का तेल(खुला) जो कि स्टील की टंकी में लगभग 3 के.जी. का अंकन है। परिवाद में सील टीन और फर्द में स्टील टंकी से नमूना लेना बताया है, जो गम्भीर संदेह पैदा करता है। नमूना सैम्पल संदेहप्रद होने से परिवाद निरस्तनीय है। खाद्य विश्लेषक द्वारा **FSS(Food products standards and food additive regulation 2011)** के आईटम नम्बर 2.2.1.6 के विहित प्रावधान अनुसार परीक्षण कर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है। आईटम नम्बर 2.2.1.6 में **Visual examination (by mark eye)** के बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। आईटम नम्बर 2.2.1.6 में निर्धारित स्टैण्डर्ड के तहत प्रार्थी से प्राप्त सैम्पल सरसों का तेल सही है। कोई त्रुटि नहीं है। लोक विश्लेषक द्वारा [illegible] विरूद्ध मनमर्जी से ''खुली आंखो'' के आधार पर रिपोर्ट में अमानक माना गया [illegible] बाहर जाकर कार्य किया है, इसलिये विधि मान्य नहीं होकर अमान्य है। प्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र में छोटी सी दुकान से परिवार का भरण पोषण करता है तथा पास गांवो में स्वरोजगार हेतु कच्ची घाणी से शुद्ध सरसों का तेल लाकर विक्रय करता है और लोकल उत्पाद को आगे बढाने का कार्य करता है। प्रार्थी ने अमानक सरसों का तेल का विक्रय नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की सैम्पल लेते समय पालना सुनिश्चित नहीं की है और खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विहित प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की है, इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:25:02 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषकजयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 5203 / एक्ट / 2023 / 5275 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल(लूज) का नमूना में **Blackis coloured suspended matter** मौजूद होने से यह खाद्य पदार्थ अमानक स्तर **Extraneous suspended matter**का पाया गया है।अप्रार्थी अभियुक्त ने सरसों का तेल(लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 व 54 में वर्णित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारासरसों का तेल(लूज) अमानक स्तर काविक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री रामेश्वर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी मैसर्सः–सैनी जनरल स्टोर, हांडली चौराहा लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा पर 500000 / –(अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 03.07.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.07.2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / **FSSA**/ 2024 / दिनांकः–.07.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी
   मैसर्सः–सैनी जनरल स्टोर, हांडली चौराहा लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:25:02 IST
Reason: SelfAttested